0151-2250006

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No. SPL-33, Phase-2nd,Bhicchwal Industrial Area,
Bikaner – 334001
Email:ro-bikaner@gmail.com
www.rpcb.rajasthan.gov.in

RPCB/RO BIKANER/BM-286/1295 | DATE :31/10/2023

Member Secretary,
State Level Expert Appraisal Committee, Rajasthan
4, Institutional Area, Jhalana Doongri
Jaipur.

Sub: - **Regarding Public Hearing for Environmental Clearance of Mining Project of M/s Sampat Lal Daga (M.L. No 05/1996) having Lease Area – 82.25 Ha & Production Capacity – 80000 TPA (Fire Clay Mining), Near Village- Gudha, Tehsil- Kolayat, District- Bikaner.**

Ref.: - Public Hearing conducted on dated 29.09.2023

Sir,

Apropos above, it is informed that the public hearing in the matter of Environment Clearance for the Mining Project of **M/s Sampat Lal Daga (M.L. No 05/1996) having Lease Area – 82.25 Ha & Production Capacity – 80000 TPA (Clay Mining), Near Village- Gudha, Tehsil- Kolayat, District- Bikaner** was conducted on 29.09.2023 at Gram Panchayat Bhawan Gudha, Tehsil- Kolayat, District- Bikaner.

The minutes of the public hearing along with Attendance sheet, Objection letter, CD of videography of Proceedings and photographs are being forwarded in original for examination and further necessary action at the level of State level Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA) under EIA notification, 2006.

Enclosed: -

(i) One set of minutes of the Public Hearing
(ii) One set o Attendance Sheet
(iii) Copy of Objection letters (4 Nos)
(iv) One set of Videography of the proceedings (1 CD)
(v) One set of Photographs

Yours Sincerely

sd

(Pradeep Kumar Asnani)
Regional Officer
RSPCB, Bikaner

Copy to following for information & necessary action: -

1. Member Secretary/Group Incharge (Mines), Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. Additional District Magistrate (Adm.), Bikaner
3. Analyst Cum Programmer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur with request upload the proceedings of public hearing on Board's website.
4. M/s Sampat Lal Daga, 1st Floor, Labhu Ji ka Katla, Bikaner

Regional O

जन–सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत **मैसर्स सम्पत लाल डागा**, जो कि **खसरा नम्बर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 37, 39, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 77, 38, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 404, 65/1, निकट ग्राम–गुड़ा, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर** में प्रस्तावित है जिसका **एम.एल. नम्बर 05/1996**, खनन पट्टा क्षेत्रफल, **82.25 हैक्टेयर**, उत्पादन क्षमता **80000** टी.पी.ए. (फायर क्ले) है, उक्त प्रस्तावित खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई दिनांक 29.09.2023 को **ग्राम पंचायत भवन–गुड़ा, तहसील–कोलायत जिला–बीकानेर (राजस्थान)** में प्रातः 11.00 बजे से जिला कलक्टर, बीकानेर के प्रतिनिधि श्री प्रतिभा देवठिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ठ "अ"** पर सलंग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 27.08.2023 को समाचार पत्र दैनिक युगपक्ष एवं दैनिक भास्कर में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ठ "ब"** पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री प्रदीप कुमार आसनानी, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत सुनवाई की आवश्यकता /प्रक्रिया के बारे में अवगत करवाया एवं एवं बताया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी । क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा सभी आमजन से खनन परियोजना से जुड़ी जानकारी को ध्यान से सुनने एवं समझने हेतु निवेदन किया गया तथा पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने के बाद आपत्ति या सुझाव दर्ज करवाने हेतु भी निवेदन किया गया। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स सम्पत लाल डागा**, के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स **"फुलग्रो एन्वायरमेन्टल एण्ड इंजिनियरिंग सर्विसेज इण्डिया प्रा. लि."** को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसके अन्तर्गत बताया गया कि खनन ईकाई का **एम.एल. नम्बर 05/1996**, कुल खनन क्षेत्र **82.25** हेक्टेयर, खनिज–**फायर क्ले** एवं उत्पादन क्षमता **80000** टन प्रतिवर्ष है। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना कि विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के क्षेत्रीय अधिकारी महोदय श्री प्रदीप कुमार आसनानी ने जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपना आक्षेप एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

स्थानीय ग्रामीणो द्वारा जनसुनवाई के दौरान खनन इकाई को पर्यावरणीय स्वीकृति देने का विरोध किया एवं आपत्ति की गई की खनन ईकाई की जानकारी में बताये गये नक्शे में जोगिरा तालाब दर्शाया गया है लेकिन राधेरा तालाब के बारे में नहीं दर्शाया गया है। ग्रामीणों द्वारा कहा गया कि खनन ईकाई की विस्तृत जानकारी में राधेरा तालाब के सम्बन्ध में गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये है। यह खनन इकाई राधेरा तालाब की तलहटी में स्थित है। खनन पट्टा धारक द्वारा तालाब की मिट्टी का खनन किया जा रहा है जबकि धरोहर होने के कारण राधेरा तालाब का संरक्षण किया जाना जरूरी है।

श्री रामदयाल मेघवाल, निवासी ग्राम गुढ़ा ने आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा कि एक भी खनन ईकाई द्वारा पानी का छिड़काव नहीं किया जाता है। खनन ईकाई के ट्रकों द्वारा गॉव की सड़कों को क्षतिग्रस्त किया जाता है तथा काफी मात्रा में धूल उड़ाई जाती है जिससे स्कूल के बच्चे प्रभावित होते है, कई बार छोटे मोटे हादसे भी होते है। खनन ईकाई के ट्रक गाँव में प्रवेश नहीं करें इस हेतु गॉव के बाहर से रास्ता होना चाहिये। खनन ईकाई में पौधारोपण नहीं किया जाता है। माईन्स एसोसिएशन के वैलफेयर का पैसा शिक्षा में लगना चाहिये। खनन पट्टा धारक द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गाँव के प्रत्येक विद्यालय में कम्प्यूटर व कम्प्यूटर टेबल लगाया जाना चाहिये। श्री मेघवाल द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि खनन ईकाई के आस–पास के खेतो की लीज बिना किसान की सहमति के आवंटित नहीं की जानी चाहिये। खनन धारक द्वारा खनन कार्य में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। खनन धारक द्वारा गॉव में मुख्य चौराहे पर आर.ओ. प्लांट सहित प्याऊ का निर्माण करवा कर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करवायी जानी चाहिये। क्षेत्रीय अधिकारी ने खनन ईकाई मालिक श्री रोहित डागा जी से इस सम्बन्ध में अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिये कहा गया।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा खनन पट्टा धारक के प्रतिनिधि खनन ईकाई मालिक श्री रोहित डागा से इस सम्बन्ध में अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिये कहा गया। खनन ईकाई के मालिक श्री रोहित डागा द्वारा बताया गया कि राधेरा तालाब का संरक्षण किया जायेगा, खनन ईकाई में पौधारोपण किया जायेगा, स्थानीय लोगो को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी। श्री रोहित डागा द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विद्यालयों में आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर, टेबल एवं कुर्सीयों की व्यवस्था करवाने का आश्वासन दिया गया तथा यह भी बताया कि श्रमिकों का मेडिकल इन्श्योरेन्स करवाया जायेगा तथा साल में एक बार स्वास्थ्य कैम्प लगाया जायेगा।

जनसुनवाई के दौरान स्थानीय लोगो द्वारा खनन इकाई को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का विरोध किया गया एवं 3 आपत्तियॉ/आक्षेप एवं सुझाव क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को लिखित में भी दिये गये जो कि **परिशिष्ठ–'स'** पर संलग्न है।

अन्त में श्री प्रदीप कुमार आसनानी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर ने श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय एवं उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने हेतु आभार प्रकट किया एवं जनसुनवाई के समापन की घोषणा की।

(प्रदीप कुमार आसनानी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर

(प्रतिभा देवठिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
कार्यालय, जिला कलक्टर, बीकानेर